संख्या-14/2023/अ0मु0स0-260/एक-1-2023-1-1099/101/2023

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 03 अगस्त, 2023**

विषयः- उ0प्र0 में शौर भूमि को अनारक्षित श्रेणी की भूमि माने जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी बुलन्दशहर को सम्बोधित शासन के पत्र संख्या-डब्ल्यू-09/एक-1-2016-1(44)/2015 दिनांक-18.05.2016 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शौर भूमि को उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-132 की भूमि मानते हुए वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि नहीं माना गया था।

2- इस सम्बन्ध में उक्त आदेश संख्या-डब्ल्यू-09/एक-1-2016-1(44)/2015 दिनांक-18.05.2016 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में जहां भी शौर भूमि खतौनी में अंकित है, उसे (शौर भूमि) श्रेणी-6(4) के अंतर्गत ऊसर की भांति अनारक्षित/सामान्य श्रेणी की भूमि मानी जायेगी।

3- उक्त आदेश मा0 मंत्रि-परिषद के आदेश के अनुपालन में गोपन अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-4/2/11/2023-सी0एक्स0(1) दिनांक-01.08.2023 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-डब्ल्यू-09/एक-1-2016-1(44)/2015

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 18 मई, 2016

विषयः- ग्राम किर्रा परगना व तहसील खुर्जा जनपद बुलन्दशहर में स्थित शोर भूमि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1819/डीएलआरसी, दिनॉक 12.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र दिनांक 12.05.2016 द्वारा राजस्व अभिलेखों में दर्ज श्रेणी 6(4) के अन्तर्गत शोर भूमि, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 132 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने अथवा न होने के सम्बन्ध में यथोचित मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया।

3. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर, राजस्व परिषद से प्राप्त सूचना/आख्या तथा न्याय विभाग के परामर्श से स्पष्ट होता है कि जनपद बुलन्दशहर में सर्वप्रथम भूमि का बन्दोबस्त जिल्द मिस्टर कड़ी साहब बहादुर साल फसली 1264-65 यानि 1857 में हुआ, जिसमें गैर मुमकिन (असम्भव) के रूप में शोर, रास्ता, पोखर, रजवाह व आबादी आदि के रूप में भूमि अंकित है तथा द्वितीय भूमि का बन्दोबस्त जिल्द मिस्टर स्टूकर साहब बहादुर साल फसली 1294 यानी सन् 1887 में गैर मुमकिन (असम्भव) के रूप में आबादी, पोखर, रास्ता, शोर भूमि का बन्दोबस्त जिल्द मिस्टर फिलिप बहादुर साहब फसली 1323 यानि सन् 1916 जिसमें श्रेणी-12-आराजी गैर मुमकिन, 12(1) आराजी जिस पर पानी है, पोखर बगैरा, 12(2) आराजी सड़क मकानात बगैरा, 12(3) किसी और बजह से गैर मुमकिन, शोर, मरघट। जमींदारी खात्मे से पूर्व श्रेणी 15(4) व श्रेणी 15(5) को जमींदारी खात्मे के बाद श्रेणी 6(4) में ऐसी भूमि भी सम्मिलित की गयी जो बड़ी लागत के बिना कृषि योग्य नहीं बनायी जा सकती। रेह युक्त भूमि की एक किस्म की शोरदार मिट्टी, खारी मिट्टी जो अक्सर शकर साफ करने या कपड़े धोने और साबुन बनाने के काम आती है। इससे यह आभास होता है कि शोर भूमि क्षारीय विशिष्टता के कारण कपड़े आदि धोने की सामग्री के रूप में सार्वजनिक रूप से किया जाता है, रहा होगा, इसीलिए जमींदारी विनाश से पूर्व 3 बन्दोबस्तों में यह भूमि शोर के रूप में अंकित रही और जमींदारी विनाश के उपरान्त चकबन्दी मे भी यह भूमि श्रेणी 6(4) के अन्तर्गत शोर के रूप में दर्ज है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 132 के खण्ड (4) के अन्तर्गत ऐसी भूमि सार्वजनिक उद्देश्य की भूमि परिलक्षित होती है। जहॉ तक वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता का बिन्दु है, मौके पर जिन शोर भूमियों का आवंटन हो गया है उसे आवंटियों द्वारा ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत जिप्सम आदि डालकर कृषि योग्य बना लिया गया है तथा उस पर सामान्य रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है। आवंटन से अवशेष भूमि मौके पर परती व ऊबड़- खाबड़

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पड़ी हुई है। अतः स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश भूमि लेख नियमावली के नियम-क-124 श्रेणी 6(4) के रूप में दर्ज शोर भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-132 से शासित भूमि है, जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, परन्तु वर्तमान में शोर भूमि की सार्वजनिक उपयोगिता नहीं है।

कृपया उपरोक्त तथ्यों से मा0 न्यायालय को अवगत कराते हुए अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को रिट याचिका संख्या-66146/2015 अरविन्द कुमार व अन्य बनाम राजस्व परिषद व अन्य के सन्दर्भ में।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, मेरठ।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मदन मोहन
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।